न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 50/2025

प्रार्थी–	*बनाम*	अप्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, बाड़मेर		श्री विजयपाल पुत्र श्री केसाराम निवासी लखाडी नाडी, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री राजेश विश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 16.07.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 19.03.2025 को श्रीमान जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर मय श्री खेमाराम, प्रवर्तन अधिकारी, श्री सवाईराम, प्रवर्तन अधिकारी एवं मेरे द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद संख्या 032503022360 श्री भवानी, निवासी आलपुरा चौहटन जिला बाड़मेर द्वारा पेट्रोल पम्प/गैस सिलेण्डर से संबंधित कालाबाजारी की शिकायत की मौका जांच हेतु शिकायत दर्ज लोकेशन अनुसार SH–28, कनीराम की होटल रामजी की गोल मौके पर पहुंचे। मौके पर उक्त स्थान पर वाहन संख्या RJ–22 GA 6775 (टाटा 407/31) के टैंकर से अन्य वाहन मे पेट्रोलियम पदार्थ नोजल मशीन से भरना पाया गया। जैसे ही जांच दल द्वारा उक्त वाहन के पास गये तो जांच दल को देखकर वाहन से पेट्रोलियम पदार्थ भरवाने वाला वाहन लेकर मौके से भाग गये तो जांच दल के वाहन से पेट्रोलियम पदार्थ की बिक्री करने वाहन RJ–22 GA 6775 का पीछा किया जाकर आ[illegible] चौकी रामजी का गोल पर खड़ा करवाया गया। मौके [illegible] से पूछताछ करने पर उसने स्वयं का नाम श्री विजयपाल पुत्र श्री केसाराम निवासी लखाडी नाडी, लोहरवा तहसील धोरीमन्ना होना बताया। मौके पर उक्त वाहन के [illegible]लक श्री विजयपाल द्वारा ड्राईविग लाईसेंस, आधार कार्ड एवं वाहन संख्या RJ–22 GA 6775 (टाटा 407/31) की आरसी की फोटोकॉपी वास्ते जांच हेतु पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:51:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

की। उक्त वाहन टाटा 407 में मोडिफाईड 2400 लीटर भंडारण क्षमता का टैंक स्थापित किया हुआ पाया गया था। मौके पर उक्त वाहन के टैंकर में भंडारित पेट्रोलियम पदार्थ को देखने सूंघने पर मिलावटी डीजल जैसा प्रतीत हुआ एवं मौके पर वाहन के पीछे नोजल मशीन लगी हुई पायी गयी जिससे श्री विजयपाल द्वारा वाहनों को पेट्रोलियम पदार्थ की बिक्री की जाती है। मौके पर मोडिफाईट टैंकर स्थापित उक्त वाहन में भंडारित पैट्रोलियम पदार्थ की गेज से मापन करने पर 800 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (डीजल) भंडारित होना पाया गया। उपस्थित वाहन चालक श्री विजयपाल से माडिफाइट वाहन टाटा 407 मे भंडारित पेट्रोलियम पदार्थ (डीजल) के भंडारण, खरीद, विक्रय करने के संबंध में वैध दस्तावेज, तथ्य प्रस्तुत करने का कहा गया परन्तु इस संबंध मे वाहन चालक श्री विजयपाल द्वारा कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुलजिम श्री विजयपाल द्वारा बिना लाईसेंस/परमिट के उक्त डीजल अपने कब्जे में रखना, संग्रहण करना तथा विक्रय करना मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना पाये जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित है। लिहाजा अप्रार्थी श्री विजयपाल के विरूद्ध यह इस्तगासा पेश कर निवेदन है कि प्रकरण हाजा मय जब्तशुदा 756 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय डिस्पेरिंग यूनिट एवं मोडिफाईट टैंकर टाटा 407 वाहन संख्या RJ–22 GA 6775 का नियमानुसार निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विप्रार्थी टैंकर टाटा 407 वाहन संख्या RJ–22 GA 6775 का चालक है तथा उक्त वाहन स्वामी हिम्मताराम है जिसे प्रार्थी द्वारा इस परिवाद मे पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि प्रार्थी द्वारा वाहन व जब्त डीजल के निस्तारण (राजसात) करने हेतु उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस कारण समुचित पक्षकार के अभाव मे यह परिवाद विधि अनुसार चलने योग्य नहीं है। इसके साथ ही उक्त डीजल अप्रार्थी ने थराद (गुजरात) से भादू कन्स्ट्रेक्शन कम्पनी के लिए पेट्रोलियम करवाया गया था। इसके साथ ही जिसे प्रार्थी का अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध ही गठित नहीं होता है क्योंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा CRLMP No. 4279/2018 बुधाराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान आदेश दिनांक 03.01.2019 को अभिनिर्धारित किया गया है कि 2500 लीटर तक डीजल को रखा जाना कोई अपराध नहीं है। अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त परिवाद निरर्थक तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जावे तथा प्रकरण में जब्तशुदा डीजल व वाहन को प्रार्थी स्वामी होने से कब्जे में रखने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:51:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि अप्रार्थी श्री श्री विजयपाल पुत्र श्री केसाराम निवासी लखाडी नाडी, लोहरवा तहसील धोरीमन्ना को अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ (डीजल) पदार्थ विक्रय करते हुए पाया गया तथा मौके से जब्तशुदा 756 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय डिस्पेरिंग में भरे पदार्थ के बारे में पूछने पर विजयपाल ने डीजल होना बताया। उक्त शख्स से डीजल लाने, कब्जा में रखने व बेचान करने बाबत वैध अनुज्ञापत्र भी नहीं होना पाया गया। इसके जवाब में अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया कि डीजल अप्रार्थी ने थराद (गुजरात) से भादू कन्स्ट्रेक्शन कम्पनी के लिए पेट्रोलियम करवाया गया था। अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध ही गठित नहीं होता है क्योंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा CRLMP No. 4279/2018 बुधाराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान आदेश दिनांक 03.01.2019 को अभिनिर्धारित किया गया है कि 2500 लीटर तक डीजल को रखा जाना कोई अपराध नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी के कब्जे से बरामद किये गये डीजल पदार्थ की मात्रा निर्धारित सीमा के भीतर होने से अप्रार्थी इतना डीजल पदार्थ अपने कब्जे में रखने का अधिकारी होने से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अभिमत के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह परिवाद चलने योग्य होना प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थी द्वारा अपने कब्जे में रखे गये डीजल पदार्थ की मात्रा मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना नहीं पाया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध हों। ऐसे में अप्रार्थी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में तथा तथ्य की भूल के फलस्वरूप दर्ज कराया गया यह प्रकरण काबिल खारिज है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण में सीजशुदा उक्त जब्तशुदा 756 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय डिस्पेरिंग यूनिट एवं मोडिफाईट टैंकर टाटा 407 वाहन संख्या RJ–22 GA 6775 को कब्जा सरकार से एतद्द्वारा मुक्त किया जाता है। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता हैं कि प्रकरण में सीजशुदा पेट्रोलियम पदार्थ मय वाहन अप्रार्थी को सुपुर्द करें।

5. आदेश आज दिनांक 16.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:51:22 IST
Reason: SelfAttested

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते